U.P.Excise Department
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग

Important Instructions for Online Application for Bonded Warehouse BWFL2A/2B/2C/2D
बंधित गोदाम BWFL2A/2B/2C/2D हेतु आन-लाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

1. This registration is for online Application for Bonded Warehouse licenses in the form of BWFL-2A/ BWFL-2B/ BWFL-2C/ BWFL-2D applicable for distilleries, breweries, wineries and units manufacturing Low Alcoholic beverages situated outside Uttar Pradesh only.
   यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित आसवनियों, यावासवनियों, द्राक्षासवानियों तथा कम तीव्रता के मादक पेय उत्पादक इकाइयों हेतु बंधित गोदाम का अनुज्ञापन BWFL-2A/ BWFL-2B/ BWFL-2C/ BWFL-2D प्रपत्र में प्राप्त करने के लिए आनलाइन आवेदन हेतु है |
2. Applicants desirous to apply for above Licenses have to register themselves once onto this portal by providing their basic data along with the basic data of the concerned Distillery/Brewery/Winery. The Applicant must have a authorization certificate of concerned Unit.
   उपरोक्त अनुज्ञापनों हेतु आवेदन से पूर्व आवेदनकर्ता को अपनी व अपने प्रदेश के बाहर की आसवनी/ यावासवनी/ द्राक्षसवानी की मूलभूत सूचनओं के साथ पोर्टल पर एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा | आवेदक के पास सम्बंधित इकाई का प्राधिकार पत्र होना आवश्यक होगा |
3. At the time of registration the applicant has to provide his name, father's/husband's name, date of birth, contact details in terms of address, mobile number and e-mail along with the PAN and Aadhar card details. Along with the Applicant's details, applicant has to provide details of the Unit in terms of Name, Address, License number, PAN, GSTIN, Annual turnover and annual capacity. **With one GSTIN only one registration shall be allowed in this category of licenses.**
   रजिस्ट्रेशन करते समय आवेदक को अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी, PAN नम्बर व आधार नम्बर की सूचना भरनी होगी | आवेदक को अपने विवरण के साथ अपनी इकाई का नाम, पता, लाइसेंस नम्बर, GSTIN, वार्षिक टर्न ओवर, वार्षिक क्षमता भी भरना होगा | **एक GSTIN नम्बर से एक व्यक्ति केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करा सकता है |**
4. Once the registration has been done, the registered person may submit multiple applications for any of the above licenses in multiple districts of U.P.
   एक रजिस्ट्रेशन द्वारा आवेदक पृथक-पृथक अनुज्ञापन/ जिला हेतु कई आवेदन- पत्र प्रस्तुत कर सकता है |
5. After completing the registration a SMS and e-mail, containing the user name and password, shall be sent to the registered mobile number and e-mail id.
   रजिस्ट्रेशन हो जाने के पशचात आवेदक को यूजर नेम व पासवर्ड उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी पर भेज डी जायेगी|
6. For submitting the application, the registered applicant has to login with the user name / password provided to the applicant. **Do not share your User Id and Password to avoid inconvenience.**
   रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद आवेदक अपने कार्यकलाप हेतु आवेदक को अपने यूजर नेम/ पासवर्ड से पोर्टल पर लाग-इन करना होगा | **अपना यूजर आई डी व पासवर्ड किसी अन्य को न बतायें।**
7. After authentication of the registered applicant, the status of all applications submitted by the registered applicant shall be visible in a tabular form with an option to add more applications.

पंजीकृत आवेदक की पुष्टि के उपरांत आवेदक के डैशबोर्ड पर, उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत समस्त आवेदन-पत्र एक सारणी के रूप में दिखाई देंगे जिसमे प्रत्येक आवेदन पत्र पर आवेदक द्वारा प्रक्रिया में किये गए कार्य तथा आवेदन की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित होगी | अग्रेतर आवेदन जोड्ने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

8. If the registration is done on behalf of a Distillery (Outside UP), applications for BWFL2A or BWFL2D may be submitted. In case of BWFL2B, the application can be only for BWFL2B while Winery can submit application for BWFL2C only.
   यदि रजिस्टर्ड आवेदक प्रदेश के बाहर की किसी आसवनी का है तो वह केवल BWFL-2A या BWFL-2D के लिए ही आवेदन कर सकता है | यदि आवेदक प्रदेश के बाहर की यावासवनी का है तो BWFL-2B तथा द्राक्षासवनी के सन्दर्भ में BWFL-2C के लिए आवेदन कर सकता है |
9. Applicant has to first fill up the complete Application Form in English and save it. Once the Application is completely filled and saved, "Completed" shall appear in the Fill application column of the table shown in the Dashboard.
   प्रत्येक आवेदन हेतु आवेदक को सर्व-प्रथम आवेदन पत्र पूर्ण करना होगा, जिसके लिए आवेदक को आवेदन-पत्र पर उल्लेखित सभी सूचनाओं को अंग्रेजी में भरना होगा | आवेदन सफलता पूर्वक भरे जाने पर सारणी में आवेदन पूर्ण करने के बटन के स्थान पर "Completed" दिखाई देगा |

10. After completing the Application form, user shall be allowed to upload the required documents. All the documents have to be uploaded in pdf format except the photograph and signature, which is to be uploaded in jpg format. The maximum size of the documents, which can be uploaded, are clearly mentioned on suitable places. **Please make sure that your documents are within the specified size limits and of specified format.**
    आवेदन-पत्र पूर्ण करने के उपरान्त, आवेदक को सभी आवश्यक अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने होंगे | आवेदक की पासपोर्ट साईज फोटो व हस्ताक्षर 'jpg' फार्मेट में व अन्य सभी प्रपत्र 'pdf' फार्मेट में अपलोड होंगे | प्रत्येक आवेदन के साथ जिन प्रपत्रों की आवश्यकता होगी, उसकी सारणी आवेदक के डैशबोर्ड पर फाईल की अधिकतम साईज के साथ दिखाई देगी | **कृपया अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों की फाइल के फार्मेट तथा साइज का ध्यान रखें ।** आवेदक के पास डिजिटल सिगनेचर होना आवश्यक है।
11. Once all the documents are uploaded, Applicant has to pay the required processing fee along with the GST by pressing the Fee payment button shown in the table for the said application. The fee payment has to be done online using Net banking or Credit/Debit cards and for this purpose PNB payment gateway shall be used. If the payment status is successful, it shall be marked as "Payment Done" in the payment column and the applicant may proceed for further processing. **If the same is not shown as successful at that time, please wait till the status to be re-confirmed by the Bank at the end of the day and the re-payment option shall be made available next day only.**
    आवेदन-पत्र पूर्ण करने के पश्चात, आवेदक को "Processing Fee & GST" का भुगतान आनलाइन बैंकिंग अथवा Credit/Debit कार्ड द्वारा करना होगा | सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात, सारणी के इस भाग में भी "Payment Done" दिखाई देगा | भुगतान की पुष्टि बैंक द्वारा न हो पाने की दशा में दिवस के अंत में, यह पुष्टि बैंक द्वारा पुन: की जावेगी । कृपया तब तक प्रतीक्षा करें | बैंक द्वारा दुबारा भी पुष्टि न होने की दशा में, आवेदक को पुन: भुगतान का विकल्प अगले दिन उपलब्ध होगा | सफलतापूर्वक भुगतान होने व बैंक द्वारा किसी प्रकार की पुष्टि न होने की दशा में आवेदक द्वारा पुन: भुगतान सम्भव नहीं होगा |

12. When Payment is done successfully, the Application submission shall be treated as Complete and further action shall be taken for processing of the Application by the department. The current status shall be displayed on the Applicant's Dashboard.

आवेदन का भुगतान सफलता पूर्वक हो जाने के पशचात आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण पूर्ण माना जायेगा तथा उस आवेदन का अग्रेतर व्यवहरण विभाग द्वारा किया जायेगा | आवेदन पत्र के व्यवहरण की तात्कालिक स्थिति आवेदक के डैशबोर्ड पर दिखाई देती रहेगी |

13. When the Application Status becomes "Approved", the applicant shall be allowed to record the Address and Ge-location of the Godown, which shall be verified by the concerned DEO of the district where the license has been applied for.

    आवेदन पत्र की स्थिति '' अनुमोदित'' प्रदर्शित होने के पश्चात, आवेदक के डैशबोर्ड पर एक बटन दिखेगा जिसके द्वारा आवेदक अपने गोदाम परिसर का पता एवं Geo-Location भर पाएंगे | आवेदक द्वारा भरे गए गोदाम विवरण की पुष्टि संबंधित जिले के जिला आबकारी आधिकारी द्वारा की जायेगी |

14. After verification by the DEO, Applicant will be informed accordingly and will have to upload the NSC of required amount for security and will have to make payment of License Fee. The License Fee shall be payed using the online payment link provided onto the portal and the process shall be similar to that of Processing Fee. While the Security shall be submitted as NSC in original at Excise Headquarters Prayagraj and the copy of the NSC has to be uploaded onto the portal in pdf format.

    जिला आबकारी आधिकारी द्वारा गोदाम विवरण की पुष्टि के बाद, आवेदक को तदनुसार सूचना जायेगी और उसे प्रतिभूति धनराशि के राष्टीय बचत पत्र की मूल आबकारी मुख्यालय में जमा करनी होगी तथा इसकी प्रति पोर्टल पर pdf फार्मेट में अपलोड करनी होगी और अनुज्ञापन शुल्क आनलाइन प्रासेसिंग फीस की भॉति जमा करना होगा।

15. After successful submission of the License Fee and Security and after it's verification the license will be digitally signed by the department. Thereafter a download link shall appear on the Applicant's dashboard through which the License copy may be downloaded.

    अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति जमा होने तथा इसकी पुष्टि होने के पश्चात अनुज्ञापन विभाग द्वारा डिजिटली हस्तक्षरित किया जायेगा। तत्पश्चात आवेदक के डैश बोर्ड पर एक डाउनलोड लिंक प्रदर्शित होगा जिससे अनुज्ञापन की प्रति आवेदक द्वारा डाउनलोड की जा सकेगी।

CAUTION FOR CORPORATE BANK ACCOUNT HOLDERS HAVING MAKER-CHECKER ARRANGEMENT

कार्पोरेट बैंक उपभोक्ता जो "Maker-Checker" प्राविधान का उपयोग करते है, के लिए आवश्यक निर्देश

If you are a using a Corporate Banking with facility of "Maker-Checker", where one user initiates the payment but the actual transaction occurs after it's verification by another user and using the same method for the payment of the Processing Fee +GST payment of Licence Fee payment, please Read the following points carefully.

यदि आप कार्पोरेट बैंक उपभोक्ता है और अपने अकाउंट में "मेकर-चेकर" प्राविधान का उपयोग कर रहे हैं तथा इसी प्रक्रिया द्वारा प्रोसेसिंग फीस व अनुज्ञापन फीस का भुगतान करना चाहते है, कृपया निम्न निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन सुनिश्चित करें :

1. When the payment is initiated on excisewholesale.in portal and chooses the Net Banking option for a specific Bank, the payment gateway shall re-direct it to the Bank's Portal asking the username and password. Here, if the "Maker" of such account holder logs-in and initiate the payment, it shall return back to the Excise Portal with Non-Success status. The Success or Failure status shall be updated only when this payment is approved or rejected by the "Checker" of the Account.

यदि आप नेट बैंकिंग द्वारा excisewholesale.in पोर्टल पर भुगतान का चयन करते हैं ति इस दशा में पोर्टल आपको आपके बैंक के पोर्टल पर प्रेषित करेगा| यदि यहाँ पर मेकर यूजर से लाग-इन करके भुगतान किया जाता है तो भुगतान पूर्ण तब तक नहीं माना जायेगा जबतक चेकर द्वारा इस भुगतान को approve न किया जाए | इस दशा में मेकर द्वारा भुगतान करने पर पोर्टल पर “Success” नहीं प्राप्त होगा |

2. Once this payment is initiated, although it shall not be displayed as “Payment Done” but shall not allow to initiate another payment. This button shall be disabled for the day.
   जब चेकर द्वारा पेमेंट किया जायेगा तो पोर्टल “Payment Done” नहीं दिखाएगा, परन्तु यह बटन कार्य नहीं करेगा और आपको पुन: भुगतान नहीं करने देगा |
3. Please ensure that the “Checker” approves the payment on the same day on which the payment is initiated.
   कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिस दिन चेकर द्वारा भुगतान किया गया है, उसी दिन चेकर द्वारा उक्त भुगतान का अप्रूवल कर दिया जाए |
4. At the end of the day (at 12:00AM), all such transactions, where the approval has been done by the “Checker”, shall be updated and if the approval has not been done till that time, it shall be marked as “Failure”.
   मध्य रात्रि 12:00 बजे, उन सभी भुगतानों को जिसका अप्रूवल चेकर द्वारा किया गया है, को पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा | यदि अप्रूवल ऐसे भुगतानों का है जिनका अप्रूवल उस दिन नहीं किया गया, उसे “Failure” अपडेट कर दिया जायेगा|
5. The payment status shall be updated accordingly after execution of this process at 12:00 AM
   दिन के सभी ऐसे भुगतानों की वस्तु-स्थिति को मध्य रात्रि 12:00 बजे अपडेट कर दी जायेगी |
6. If the failure is marked, the user may re-initiate payment for that particular Application.
   यदि वस्तु-स्थिति में “Failure” है तो उस आवेदन हेतु भुगतान पुन: किया जा सकेगा |
7. In case, the approval by the “Checker” is received after 12:00 AM for the previous days, it shall not be accepted for the Excise Portal deposit and the refund shall be initiated by the Bank as per standard procedure.
   यदि रात्रि 12:00 बजे के बाद किसी भुगतान का अप्रूवल चेकर द्वारा किया जाता है तो उस भुगतान को पोर्टल द्वारा अनुमन्य नहीं किया जायेगा और इस भगतान का रिफंड नियमानुसा बैंक द्वारा किया जायेगा |